

अधिक जानकारी संस्था से प्राप्त की जा सकती है।

अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने निगम के कर्मचारियों एवं सम्बंधित अधिकारियों को पालनार्थ निर्देशित करें। कृपया यह निर्देशित करावे कि संस्था के सदस्य कर्मचारियों के वेतन से संस्था का मासिक अंशदान एवं बकाया (यदि हो) अनिवार्य रूप से काटा जावे क्योंकि कुछ कर्मचारियों की अंशदान / बकाया की कटौती नियंत्रण अधिकारी अपने स्तर पर रोक लेते हैं और कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अनावश्यक कानूनी प्रेसीदगियां उत्पन्न होती हैं। संस्था के प्रावधानों के अनुसार अंशदान की नियमित कटौती आवश्यक है और मेडिकल सुविधा प्राप्त करने पर कर्मचारियों को अपने मेडिकल पुनर्भरण बिल से एक साथ संस्था को राशि जमा कराना आवश्यक है। यदि कर्मचारी मेडिकल पुनर्भरण बिल नहीं उठाता है तो उस संस्था की राशि समान मासिक किश्तों में अंशदान के साथ काटा जाना आवश्यक है।

(डॉ. महेन्द्र श्रीमाली)
संस्थापक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक: जेपीडी/कार्य/का.अ.४ नं.सं./प्रे. 77 जयपुर, दि. 22/1/03

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर निवेदन है कि यदि उक्त संस्था का कोई सदस्य उनके अधीन स्थानान्तरित होकर आया है तो निम्नलिखितानुसार कटौती करें :-

1. विस्तृत सलाहकार एवं लेखा नियंत्रक, जचिविनि, जयपुर।
2. लेखाधिकारी ४, जचिविनि, -----

जेपीडी/नियम-28

जी.पी.एल. 2003

कार्यिक अधिकारी ४ नं.सं. ४

क्र. जेपीडी/विद्युतवितरण/निगम अनु./पध. 7/प्रे. 6670 जयपुर, दिनांक 26 मार्च, 2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियन्ता ४ / उप मुख्य अभियन्ता ४, जेपीडी, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, जेपीडी, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ४ सतर्कता ४, जेपीडी, जयपुर।
4. अधीक्षण अभियन्ता ४, जेपीडी, जयपुर।
5. अधिवासी अभियन्ता ४, जेपीडी, ----- उक्त पत्र को प्रति अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाने की व्यवस्था करें।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी ४, जेपीडी, जयपुर।
7. लेखाधिकारी ४ / सहायक लेखाधिकारी ४, जेपीडी, -----
8. सहायक सचिव ४, जेपीडी, जयपुर।
9. निजी सचिव - विस्तृत सलाहकार एवं लेखा नियंत्रक, जेपीडी, जयपुर।

आज्ञा से,

सहायक लेखाधिकारी ४ नियम ४